रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 1994/अग्रहायण 30, 1916
No. 41] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1994/AGRAHAYANA 30, 1916

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

एम.सी.आई. 34 (41)/94-मैड (एन) :– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के खण्ड (ट) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से एतद्द्वारा शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क लेने और चिकित्सा कालेजों में छात्रों के प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा मानक निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : (1) इन विनियमों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (शुल्क संबंधी मानदण्ड एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा चिकित्सा कालेजों में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त) विनियम, 1994 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रयोजनीयता :— ये विनियम एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले निम्नलिखित प्रकार के चिकित्सा कालेजों पर लागू होंगे :—

(क) गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा स्थापित और/अथवा संचालित चिकित्सा कालेज, और

(ख) ऐसे अन्य चिकित्सा कालेज जिन पर सरकार, मान्यता देने वाले और/अथवा संबंधन प्राधिकरण द्वारा ये विनियम लागू किए जाएं ।

अपवर्जन :–उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18-8-1993 के अधिनिर्णय में उल्लिखित निर्देशों के अनुसरण में, निम्नलिखित चिकित्सा कालेजों को इन विनियमों के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा :—

(क) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलोर

(ख) सेंट जॉन मेडिकल कालेज, बंगलौर

ये दो कालेज छात्रों को अपने द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उसी प्रकार प्रवेश देंगे जिस प्रकार उक्त चिकित्सा कालेजों में शैक्षिक वर्ष 1992-93 में प्रवेश दिए गए थे । प्रवेश कार्य पूरा करने के बाद ये कालेज प्रवेश दिए

गए छात्रों, वर्गों, यदि कोई हों, जिनके अन्तर्गत उन्हें प्रवेश दिया गया है, का पूरा ब्यौरा तथा उनके प्रवेश संबंधी अन्य सभी ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी, उस विश्वविद्यालय को जिससे वह संबद्ध है तथा संबंधित सरकार को भेजेंगे । सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित स्कीम के अनुसार दिए गए हैं ।

3. परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) अभिप्रेत है ।

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या विश्वविद्यालय अथवा कोई भी अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विधि द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के लिए छात्रों का आबंटन करने हेतु नियुक्त हो ।

(ग) "उपयुक्त प्राधिकारी" से सरकार, विश्वविद्यालय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति देने अथवा मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम हो ।

(घ) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है ।

(ङ) निःशुल्क सीटों तथा सशुल्क सीटों के संदर्भ में शब्द "शुल्क" से सभी संस्थागत शुल्क अभिप्रेत हैं और इसमें शिक्षा शुल्क भी शामिल है ।

(च) "निःशुल्क सीटें" से वे सीटें अभिप्रेत हैं जिनके लिए देय शुल्क वही हैं जो संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के राजकीय कालेजों/संस्थाओं के लिए निर्धारित है ।

(छ) "सशुल्क सीटें", निःशुल्क सीटों से भिन्न वे सीटें हैं, जिनके लिए देय शुल्क इन विनियमों में निर्धारित शुल्कों की सीमाओं से अधिक नहीं होंगे ।

4. चिकित्सा कालेज खोलने के लिए शर्तें

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी अथवा न्यास अधिनियम, वक्फ अधिनियम या तत्संबंधी अधिनियम, विधान, यदि कोई हो, के अन्तर्गत पंजीकृत कोई धार्मिक या धर्मार्थ लोक न्यास ही खण्ड 2 में उल्लिखित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला कालेज स्थापित करने का पात्र होगा । उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई कालेज अध्ययन का कोई नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं करेगा और न ही अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करेगा ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी को ऐसे किसी पाठ्यक्रम तथा संस्थान में छात्रों को प्रवेश नहीं देना चाहिए जो किसी भी विधि तथा इन विनियमों का उल्लंघन करते हुए शुरू किया गया हो ।

5. प्रवेश प्रक्रिया

(क) नए प्रवेशों के लिए सीटों की संख्या, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श लेते हुए नियत की जाएगी ।

(ख) केवल सक्षम प्राधिकारी ही गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों में उपलब्ध सभी सीटों के लिए आवेदन-पत्र, इसी प्रकृति के सरकारी/विश्वविद्यालय कालेजों में प्रवेश के लिए मंगाए गए आवेदन-पत्र साथ मंगाएगा ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी प्रवेश के आवेदन-पत्र फार्म के साथ, उपयुक्त प्रभारों की अदायगी पर एक विवरणिका भी जारी करेगा जिसमें पाठ्यक्रमों का पूरा ब्यौरा तथा उपलब्ध सीटों की संख्या, कालेजों के नाम तथा उनके स्थान संबंधी ब्यौरे दिए गए हों । इस विवरणिका में पात्रता संबंधी न्यूनतम शर्तें, प्रवेश की विधि (प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी अथवा कोई अन्य विधि अपनाई जाएगी) तथा अन्य संगत ब्यौरे भी दिए जाएंगे । आवेदन-पत्र के फार्म में एक स्तंभ अथवा एक पृथक भाग होगा जिसमें आवेदक यह उल्लेख करेगा कि वह सशुल्क सीट पर प्रवेश लेना चाहता है अथवा नहीं । साथ ही, अपनी पसंद के क्रम में अधिकतम तीन चिकित्सा कालेजों का उल्लेख भी करेगा ।

(घ) जहां साझी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहां सक्षम प्राधिकारी साझी प्रवेश परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों की योग्यता-क्रम में एक सूची तैयार करेगा तथा जहां प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती वहां ऐसी सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मापदण्ड के अनुसार तैयार की जाएगी ।

(ङ) यदि कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसका परिणाम दो मुख्य समाचार-पत्रों में, जिनमें एक अंग्रेजी भाषा का तथा दूसरा प्रादेशिक भाषा का हो, प्रकाशित किया जाएगा ।

6. यदि कोई संस्था राज्य से बाहर के किसी संबर्धन निकाय से सम्बद्ध है तो उस संस्था में उपलब्ध सीटों को मेजबान राज्य (वह राज्य जिसमें संस्था वस्तुतः स्थित है) की "कुल सीटों" में सम्मिलित किया जाएगा और प्रवेश, उपर्युक्त पैरा 5 में यथाउल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा ।

7. सीटों का आबंटन

(क) प्रत्येक गैर-सरकारी चिकित्सा कालेज में कम-से-कम 50 प्रतिशत सीटें "निःशुल्क सीटें" होंगी और शेष 50 प्रतिशत सीटें "सशुल्क सीटें" हो सकती हैं।

(ख) चिकित्सा कालेजों में निःशुल्क सीटें भर जाने के बाद उम्मीदवारों (छात्रों) को "सशुल्क सीटों" पर प्रवेश पाने का विकल्प देने के लिए कम-से-कम 10 दिन का समय दिया जाएगा।

(ग) सीटों के किए गए सभी आबंटनों को दो प्रमुख समाचार-पत्रों में, जिनमें एक अंग्रेजी भाषा का तथा दूसरा प्रादेशिक भाषा का हो, प्रकाशित किया जाएगा तथा संबंधित कालेजों के सूचना-पट्ट तथा ऐसे अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे और साथ ही, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संबंधित प्रवेश परीक्षा अथवा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक भी दर्शाए जाएंगे।

(घ) सक्षम प्राधिकारी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाते हुए एक प्रतीक्षा-सूची भी तैयार करेगा तथा उसे प्रकाशित करेगा। उक्त सूची का पालन आबंटन की अन्तिम तारीख बीत जाने के बाद और प्रवेशों को अन्तिम रूप देने के पश्चात उत्पन्न होने वाली किन्हीं आकस्मिक रिक्तियों अथवा पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले जाने से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए किया जाएगा। ये रिक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक भरी जा सकेंगी। ऐसी तारीख के बाद भी यदि कोई रिक्ति रह जाती है तो उसे प्रबंध मंडल द्वारा भरा जा सकता है।

8. शुल्क ढांचा

(क) "निःशुल्क सीटों" तथा "सशुल्क सीटों" के लिए यथा लागू शब्द "शुल्क" के अन्तर्गत शिक्षा शुल्क समेत सभी संस्थागत शुल्क शामिल होंगे।

(ख) गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों में सशुल्क सीटों के लिए देय शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क का ढांचा विनियमों के खण्ड-2 के अन्तर्गत लाई गई संस्थाओं पर बाध्यकारी होगा।

9. विविध

(क) अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन

(i) अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता-क्रम सूची के आधार पर भरा जाएगा। इन सीटों में से आधी सीटें सशुल्क सीटें तथा आधी निःशुल्क सीटें होंगी। शेष 50 प्रतिशत सीटें प्रबंध मंडल द्वारा संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी जिनमें से आधी सशुल्क सीटें तथा आधी निःशुल्क सीटें होंगी।

(ii) प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रत्येक अल्पसंख्यक कालेज सक्षम प्राधिकारी, संबंधित विश्वविद्यालय तथा संबंधित राज्य सरकार को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रबंध मंडल द्वारा संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों में से भरी गई 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिए गए छात्रों का पूरा ब्योरा होगा।

(ख) अनिवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों को प्रवेश दिया जाना

गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों को शैक्षिक वर्ष 1994-95 से, कुल स्वीकृत सीटों के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत सीटों पर अनिवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति होगी। ये 10 प्रतिशत सीटें "सशुल्क सीटों" में से होंगी। अनिवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन इस बात को देखते हुए कि ऐसे छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि होती है, इस लिए यह संबंधित कालेज के प्रबंध-मंडल का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करे।

(ग) प्रबंध-मंडल के लिए सीटों का कोई कोटा नहीं

प्रबंध मंडल अथवा किसी परिवार, जाति अथवा समुदाय, जिसने ऐसे कालेज या संस्था की स्थापना की है, के लिए सीटों का कोई कोटा नहीं होगा। तथापि, उपयुक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीटों में से खाली रह गई कोई सीटें प्रबंध-मंडल अपने विवेकानुसार भर सकता है।

(घ) आरक्षण

किसी गैर-सरकारी चिकित्सा कालेज को यह विकल्प होगा कि वह संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की अनुमति से संविधान में अनुमेय वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार के आरक्षण, यदि कोई हों तो, ऐसी श्रेणी के कालेजों में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र मांगने की अधिसूचना जारी किए जाने से कम-से-कम एक महीना पहले किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी तथा उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा कालेज द्वारा उपलब्ध कराए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए छात्रों का आबंटन करेगा। ऐसा आरक्षित वर्गों के मामले में भी योग्यता के नियम का पालन किया जाएगा।

(ङ) विनियमों की व्याख्या

इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और सभी संबंधितों को बाध्य होगा।

डा. एम. सचदेवा, सचिव
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1994

MCI-34(41)|94-Med.(N).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations fixing norms and guidelines for charging tuition fee and other fees and providing guidelines for admission of students to medical colleges, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Medical Council of India (Norms and Guidelines for Fees and Guidelines for Admissions in Medical Colleges) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.—These regulations cover the M.B.B.S. course imparted by :—

(a) Medical colleges established and|or run by private educational institutions; and

(b) Such other medical colleges to which these regulations are made applicable by the Government, recognising and|or affiliating authority.

Exceptions :

The following medical colleges shall be kept out of the purview of these regulations in pursuance of the directions of the Supreme Court in its judgment dated 18-8-1993 :—

(a) Christian Medical College, Vellore.

(b) St. John's Medical College, Bangalore.

These two colleges will admit students on the basis of entrance test conducted by them and on the same basis on which admissions were made by them in the said medical colleges in the academic year 1992-93. After completing admissions these colleges shall furnish full particulars of the students admitted, the categories, if any, whereunder they were admitted and all other particulars relating to their admission to the competent authority, to the University to which it is affiliated and to the concerned Government. The competent authority shall ensure that the admission are made in accordance with the scheme devised by the Supreme Court.

3. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).

(b) "Competent Authority" means a Government or University or any other authority as may be designated by the Government or the University or by law to allot students for admissions to various medical colleges in a State or Union Territory.

(c) "Appropriate Authority" means the Government, University or other authority as is competent to grant permission to establish or to grant recognition to a medical college.

(d) "Council" means the Medical Council of India established under Section 3 of the Act.

(e) "Fees" in relation to free seats and payment seats, means all the institutional fees and includes tuition fee;

(f) "Free seats" means the seats on which the fee payable is the same as prescribed for the Government colleges|institutions in the concerned State or Union Territory;

(g) "Payment seats" are seats other than free seats for which fee payable will not exceed the limits prescribed under these regulations.

4. Condition for establishment of a medical college.—(a) Only a Society registered under the Societies Registration Act, 1860, or a Public Trust, Religious or Charitable, registered under the Trust Act, Wakfs Act or the Corresponding Act, legislation, if any, shall be eligible to establish a college imparting the M.B.B.S. course as referred to in clause 2 and no college shall start a new or higher course of study and shall also not increase its admission capacity without the previous permission of the appropriate authority.

(b) The competent authority should not make admissions to any course and institution which have been started in violation of any law and these regulations.

5. Admission procedure.—(a) The number of seats for fresh admission shall be fixed by the appropriate authority in consultation with the Medical Council of India.

(b) Only the competent authority shall call for applications for admission to all seats available in private medical colleges alongwith the applications for admission to Govt.|Uunversity colleges of similar nature.

(c) The competetnt authority shall issue a brochure on payment of appropriate charges, alongwith the application form for admission giving full particulars of the courses and number of seats available, the names of colleges and their location. The brochure will also specify the minimum eligibility conditions, the method of admission (whether by entrance test or otherwise) and other relevant particulars. The application form shall contain a column or a separate part wherein an applicant shall indicate whether he wishes to be admitted against a payment seat and the order of preference upto three medical colleges.

(d) The competent authority shall prepare a merit list on the basis of a common entrance examination from amongst the successful candidates where common entrance examination is held or in absence of an entrance examination by such criteria as may be determined by the competent authority.

(e) The result of the entrance examination, if any, held shall be published in at least two leading newspapers, one in English and other in vernacular.

6. The seats in institutions (if any), which are affiliated to an out of State affiliating body, shall be included in "all the seats" available in the host state (the State in which the institution is actually located) and, admission shall be made by the competent authority, in accordance with procedure as per para 5 above.

7. Allotment of seats.—(a) At least 50 per cent of seats in every private medical college shall be "free seats" and remaining 50 per cent of seats may be "payment seats".

(b) After the free seats in medical colleges are filled up, atleast 10 days' time will be given to the candidates (students) to opt to be admitted against payment seats.

(c) All allotments made shall be published in two leading newspapers, one in English and other in vernacular and on the notice board of the respective colleges and at such other places as the competent authority may direct alongwith the marks obtained by each candidate in the relevant entrance test or qualifying examination.

(d) The competent authority shall also prepare and publish a waiting list of candidates alongwith the marks. The said list shall be followed after the last date for allotment is over for filling any casual vacancies or 'drop-out' vacancies arising after the admissions are finalised. These vacancies shall be filled until such date as may be prescribed by the competent authority. Any vacancies still remaining after such date can be filled by the management.

8. Fee structure.—(a) The term "fees" as applicable to 'free seats" and "payment seats" shall cover all the institutional fees including tuition fee.

(b) The fee payment for payment seats in private medical colleges shall be fixed by the Government of Indian from time to time. The fee structure fixed by the Govt. of India shall be binding on institutions covered under clause 2 of these regulations.

9. Miscellaneous.—(a) Regulation of admission in minority institutions.

(i) 50 per cent of seats in minority educational institutions shall be filled on the basis of merit list prepared by the competent authority. Out of these seats half shall be payment seats and other half shall be free seats. The remaining 50 per cent of seats shall be filled by the management from amongst the candidates belonging to the concerned minority out of which half will be payment seats and other half will be free seats.

(ii) After completing the admission, each minority college shall submit to the competent authority, the concerned University and the concerned State

Government, a statement containing full particulars of the students admitted against 50 per cent filled up by the management from amongst the candidates belonging to the concerned minority.

(b) Admission of NRIs|Foreign students.—Private medical colleges shall be permitted to admit the NRIs|foreign students upto a maximum of 10 per cent of the total sanctioned intake capacity from the academic year 1994-95. This 10 per cent will be out of "payment seats". The NRIs|foreign students shall be admitted on the basis of merit. But in view of different backgrounds they come from, it is for the management of the college concerned to judge the merit of these candidates, having regard to the relevant factors.

(c) No quota for Management.—There shall be no quota of seats for the management or for any family, caste or community which may have established such a college or institution. However, the Management may fill at their discretion any seats that remain unfilled in the 10 per cent quota under clause (b) above.

(d) Reservation.—It shall be open to a private medical college to provide for reservation of seats for constitutionally permissible classes with the approval of the affiliating University. Such reservations, if any, shall be made and notified to the competent authority and the appropriate authority atleast one month prior to the issuance of notification calling for applications for admission to such category of colleges. In such a case, the competent authority shall allot students keeping in view the reservations provided by a medical college. The rule of merit shall be followed even in such reserved categories.

(e) Interpretation of regulations.—In case of a dispute of interpretation of these regulations the decision of the Central Government shall be final and binding on all concerned.

DR. M. SACHDEVA, Secy.
Medical Council of India

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995